

प्रेषक,
मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,
निदेशक,
आई0सी0डी0एस0,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग, देहरादून: दिनांक 6 मई, 2012

विषय: अनुपूरक पोषाहार की गतिविधियों को क्रियान्वित करने हेतु सैल गठन एवं उसमें नियत वेतन (संविदा पर) पदों के सृजन विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 2356-57/डब्लू0एफ0पी0 स्टॉफ -1847/2011-12 दिनांक 10-12-2011 एवं पत्र संख्या 247-48/डब्लू0एफ0पी0 स्टॉफ -1847/2011-12 दिनांक 27-4-2012 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुपूरक पोषाहार की गतिविधियों को क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करने हेतु निम्नानुसार पदों को दिनांक 28-2-2013 तक की अवधि के लिये बशर्ते की उक्त पद को इससे पूर्व बिना किसी सूचना के समाप्त न कर दिया जाय, स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है-

| क्र0सं0 | पदनाम | नियत वेतन | स्वीकृत पद |
|---------|-------------------------|--|------------|
| 1 | सहायक परियोजना प्रबन्धक | 15000/- नियत वेतन प्रतिमाह (संविदा पर) | 01 |
| 2 | सांख्यिकी सहायक | 10000/- नियत वेतन प्रतिमाह (संविदा पर) | 01 |
| | | कुल पदों की संख्या | 02 |

2- पूर्व में विश्व खाद्य कार्यक्रम की गतिविधियों को क्रियान्वित करने हेतु शासनादेश संख्या 719/उ0शा0/बा0वि0-121/2004 दिनांक 29-1-2004 द्वारा सृजित नियत वेतन के संविदा आधारित पद, उपरोक्त के क्रम में समाप्त समझे जायेंगे।

3- उक्त पदों पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2012-13 के अनुदान संख्या-15 के लेखाशीर्षक 2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण -02 समाज कल्याण-102-बाल विकास-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें-0110-अनुश्रवण एवं मूल्यांकन योजना के अन्तर्गत मानक मद-42-अन्य व्यय के नाम डाला जायेगा।

3- उक्त स्वीकृति वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अशा0 संख्या-23 (P)/XXVII(3)/2012-13 दिनांक 24-5-2012 द्वारा प्रदत्त सहमति के क्रम में निर्गत की जा रही है।

भवदीय,


(मनीषा पंवार)
सचिव

संख्या: (1)/XVII(4)/2012 तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएँ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
4. वित्त अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से


(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव